विविध **बैंक प्रकरण संख्या 78/2022.**(GCMS : 2022/116) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साधुवाली श्री प्रमोद कुमार ज्याणी, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय, कार्यालय–04, जवाहर नगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. वकील चंद** पुत्र भगवान सिंह निवासी वर्ड नं. 3, नजदीक हनुमान मंदिर, चक–1 एमएल (कालूवाला), पोस्ट ऑफिस 6 एलएनपी जिला श्रीगंगानगर **2. भगवान सिंह** पुत्र केहर सिंह निवासी वर्ड नं. 3, नजदीक हनुमान मंदिर, चक–1 एमएल (कालूवाला), पोस्ट ऑफिस 6 एलएनपी जिला श्रीगंगानगर **3. बाबू सिंह** पुत्र भगवान सिंह निवासी वर्ड नं. 3, नजदीक हनुमान मंदिर, चक–1 एमएल (कालूवाला), पोस्ट ऑफिस 6 एलएनपी जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.06.2022

**पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी** बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है** कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण वकील चंद, भगवान सिंह एवं बाबू सिंह को **ऋण सुविधा के रूप में 3.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण दिनांक 18.06.2018 को स्वीकृत किया था।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी वकील चंद ने अपनी आवासीय संपत्ति स्थित मकान (उत्तर मुखी), आबादी एरिया, नजदीक हनुमान मंदिर(क्षेत्रफल 26′ गुणा 100′) गांव कालूवाला जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.09.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 12.04.2022 को 2,63,522/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 12.01.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी वकील चंद, भगवान सिंह एवं बाबू सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.01.2022 को भिजवाये गये है इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी वकील चंद द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी आवासीय संपत्ति स्थित मकान (उत्तर मुखी), आबादी एरिया, नजदीक हनुमान मंदिर(क्षेत्रफल 26' गुणा 100') गांव कालूवाला जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी वकील चंद, भगवान सिंह एवं बाबू सिंह को 3.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीन लाख) का ऋण राशि की स्वीकृति 18.06.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी वकील चंद द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी आवासीय संपत्ति स्थित मकान (उत्तर मुखी), आबादी एरिया, नजदीक हनुमान मंदिर(क्षेत्रफल 26' गुणा 100') गांव कालूवाला जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 14.09.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 12.01.2022 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.01.2022 को भिजवाया गया, जिसकी एंट्री उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी वकील चंद द्वारा अपनी आवासीय संपत्ति स्थित मकान (उत्तर मुखी), आबादी एरिया, नजदीक हनुमान मंदिर(क्षेत्रफल 26' गुणा 100') गांव कालूवाला जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 12.01.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 12.01.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 21.01.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही प्रार्थना पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। अतः ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी वकील चंद के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी वकील चंद द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय संपत्ति स्थित मकान (उत्तर मुखी), आबादी एरिया, नजदीक हनुमान मंदिर(क्षेत्रफल 26' गुणा 100') गांव कालूवाला जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested